3

सरकार

लोकतंत्र का इतिहास

तुमने इतिहास के पाठों में पढ़ा है कि पुराने ज़माने में राजा राज्य करते थे। राजा अपनी मर्ज़ी से कानून बनाता और लागू करता। कई राज्यों में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कानून होते थे। राजा चाहे तो अपना कानून माने और न चाहे तो न माने। राजा की मर्ज़ी ही सब से ऊंचा कानून था। वह किसी कानून से बंधा नहीं था। कभी राजा से लोग खुश रहते तो कभी दुखी। पर कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी।

आमतौर पर राजा का बेटा उस राज्य का राजा बनता। कई बार एक राजा दूसरे राजा को हरा कर उसका राज्य अपने राज्य में मिला लेता। लगभग सत्रहवी शताब्दी तक दुनिया की अधिकांश जगहों पर राजा का ही शासन चलता था। इस दौरान कई राजाओं ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि राजा भगवान की मर्ज़ी से बनता है। उसे भगवान ही बना सकता है, भगवान ही हटा सकता है। तुमने पिछले साल वंशावली और राज्याभिषेक के बारे में पढ़ा था। यह भी भगवान की मर्ज़ी जताने के कुछ तरीके थे। इसी तरह यूरोप में भी राजा चर्च द्वारा भगवान की मर्ज़ी जताने की कोशिश करता था। इसके आधार पर राजा मनमानी भी कर सकता था।

इसी समय भारत और यूरोप में सामन्तों का भी बोलबाला था। राजा पर सामंत काफी दबाव डाल सकते थे। दूसरों की तुलना में उन्हें काफी फायदे मिलते थे। सामंत और ज़मींदार किसानों से खूब लगान लेते और ऐश करते थे। ये खेती या उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई पहल नहीं करते थे।

सोलहवी शताब्दी के आसपास यूरोप में शहर और उद्योग बढ़ने लगे। शहरों में पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग और औद्योगिक श्रमिक वर्ग का विकास हुआ। शासन में इनकी कोई भागीदारी नहीं थी। धीरे-धीरे शहरी लोगों में यह विचार बनने लगा कि शासन में राजा की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। शासन में और लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक सरकार बननी चाहिए यानी ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चलाई जाए।

सन् 1600 से लेकर 1900 तक पूरे यूरोप में कई जगहों पर लोकतांत्रिक क्रांति हुई और लोगों ने राजा के राज्य को खत्म कर दिया। सब से पहले

फ्रांस के राजा का सिंहासन जलाते हुए क्रांतिकारी

ऐसी क्रांति इंग्लैंड में हुई थी - सत्रहवी शताब्दी में। इसी प्रकार फ्रांस में भी जनतांत्रिक क्रांति हुई। राजा के शासन की जगह पर कैसा राज्य हो - यह विकल्प ढूंढना था।

इंग्लैंड की क्रांति के बाद शासन करने के लिए वहां संसद बनाई गई। पर इस संसद में इंग्लैंड के सभी लोग सदस्य नहीं हो सकते थे। तो संसद सदस्यों को चुनने का निर्णय हुआ। पर संसद सदस्यों को चुनने का अधिकार भी सभी को नहीं मिला। पहले केवल

अच्छे घरो में रहने वाले लगभग 10% पुरुषों को यह अधिकार मिला था। महिलाएं, मज़दूर आदि लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। उत्तरी अमेरिका ने भी यूरोपीय शासन से सन् 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त की और संयुक्त राज्य अमेरिका बना। उन्होंने अपने संविधान में एक जनतांत्रिक सरकार की घोषणा की। पर यहां भी कुछ ही लोगो को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अफ्रीकी दास, अमेरिकन इंडियन और महिलाएं इस अधिकार से वंचित रहे।

अमेरिका में श्वेत संपत्तिवान वोट डालते हुए

ऐसी क्रांतियो में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन क्रांतियों के बाद लोग धीरे-धीरे अपने जनतांत्रिक अधिकारो को बढ़ाने के लिए लड़ते रहे। सभी लोगो को - औरतें, मज़दूर, सम्पत्तिहीन - वोट डालने का अधिकार हो यह लड़ाई लंबे समय तक चलती रही और अंततः यूरोप और अमरीका में सभी लोगो को ये अधिकार मिलने लगे।

जब हमारे देश के लोग अंग्रेज़ सरकार से स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तक यूरोप और अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकारें बन चुकी थी। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे लोगो और नेताओ ने तय किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। यह सरकार कैसे बनाई जाएगी? ऐसे समाज में लोगो के क्या अधिकार होंगे? इन सब बातो के लिए एक संविधान बनाया गया।

लोकतंत्र में सब लोग मिलकर कुछ लोगो को चुनते हैं। संविधान बनाने वालों को भी लोगो ने चुना था। इसी संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय सरकार दोनों को बनाने और चलाने के नियम दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। संविधान के अनुसार चुने हुए लोग पूरे देश के लिए नियम व कानून बनाते हैं। ये नियम कानून चुने हुए लोगो के बहुमत की सहमति से बनना ज़रूरी है। कुछ ही लोग अपनी मर्ज़ी से कानून नहीं बना सकते।

ये नियम कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। उनको भी, जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ये कानून तोड़े तो उसे कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए।

पुराने ज़माने में किसी राज्य का राजा कैसे बनता था?

राजा के राज्य में कानून कैसे बनते थे?

लोकतांत्रिक क्रांतियां क्यों हुई?

लोकतांत्रिक क्रांतियों के बाद किन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला?

राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर हैं?

आज भी कुछ लोग देश के नियम कानून नहीं मानते, फिर भी उन्हें सज़ा नहीं मिलती, ऐसा क्यों?

हमारे यहां कई तरह के चुनाव होते हैं। तुम किन चुनावों के बारे में जानते हो? इनमें कौन चुने जाते हैं? ये चुनाव कितने सालों में होते हैं? चुनाव किस प्रकार होते हैं? कक्षा में चर्चा करो।

हमारे देश का शासन कैसे चलता है?

हमारे देश का केंद्रीय शासन कैसे चलता है, चलो इसकी कुछ झलकियां देखें:

हर प्रांत का कानून विधानसभा के सदस्य मिलकर बनाते हैं। पूरे देश का कानून संसद सदस्य बनाते हैं। संसद के दो सदन हैं, **लोकसभा और राज्यसभा** ।

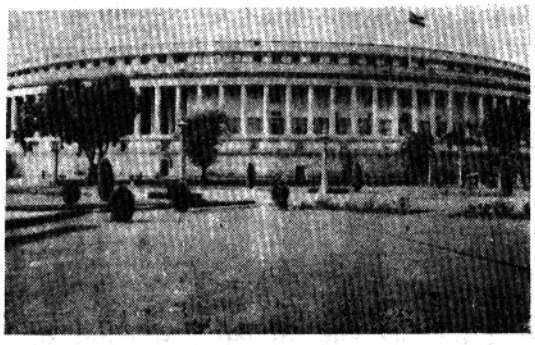

संसद भवन, दिल्ली

"लोकसभा की बैठक स्थगित।"

"लोकसभा भंग - लोकसभा के लिए चुनाव।"

"डाक विधेयक वापस।"

"किसी दल को बहुमत नहीं - प्रधान मंत्री कौन बनेगा?"

"रेल दुर्घटना में 1,000 मरे - रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग।"

"एक हफ्ते में पंजाब में 512 लोग मारे गए। संसद मे गृह मंत्री को हटाने की मांग।"

"सरकार महंगाई नहीं रोक पाई तो इस्तीफा दे।"

ये लोकसभा और राज्यसभा में हो रही बातों के कुछ उदाहरण हैं।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कैसे बनते हैं? वे कैसे काम करते हैं? चलो इनके बारे में पढ़ें।

देश के कानून बनाने वाली लोकसभा का गठन

हर 5 सालों में लोकसभा भंग होती है और नए सदस्य चुने जाते हैं। इसे लोक सभा का गठन कहते हैं। 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति लोक सभा सदस्य बन सकता है।भारत में 550 लोक सभा

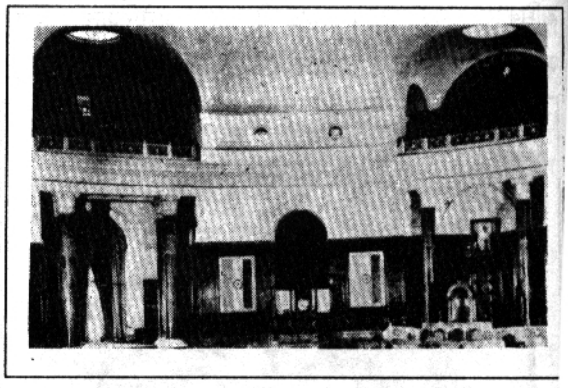

संसद भवन के अंदर का एक दृश्य

चुनाव क्षेत्र हैं। हर प्रांत से उसकी जनसंख्या के हिसाब से सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से सब से अधिक सदस्य (85) चुने जाते हैं। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि हो सकता है।

अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे में देखो मध्यप्रदेश से कितने लोक सभा सदस्य चुने जाते हैं? किन प्रांतों से मध्यप्रदेश से अधिक लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं?

लोकसभा का एक सभापति होता है जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वह लोकसभा के काम का संचालन करता है।

लोकसभा चुनाव क्षेत्र में रहने वाले लोग वोट डाल कर अपने क्षेत्र से एक सदस्य चुनते हैं।

18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों

भारत के लोकसभा चुनाव क्षेत्र

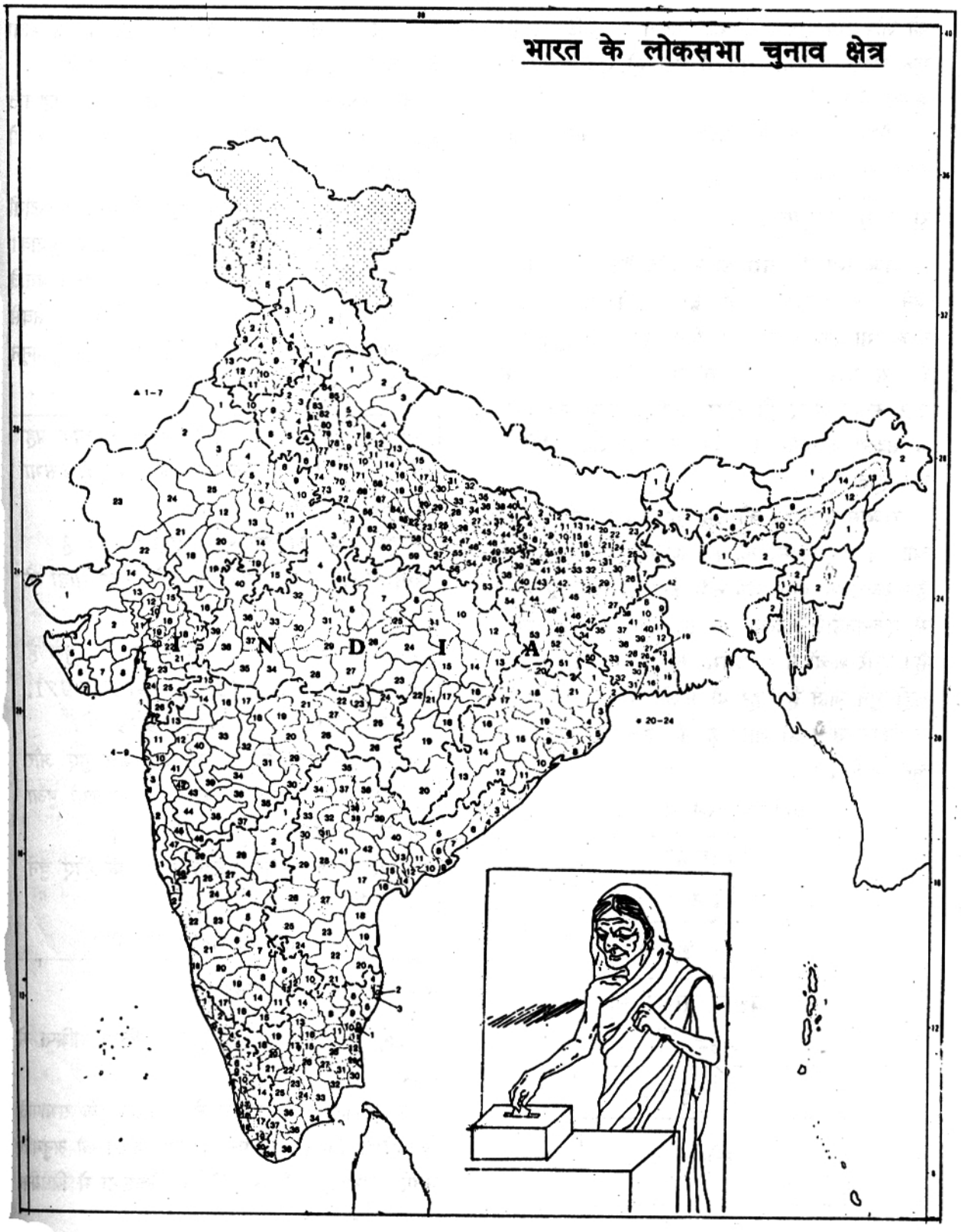

को लोकसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र में एक ही बार वोट डाल सकता है।

लोकसभा और विधानसभा की सभी बातें मिलती-जुलती हैं।

राज्यसभा का गठन

राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ये सदस्य भी चुने जाते हैं परंतु लोगों द्वारा सीधे नहीं। 238 राज्यसभा सदस्य प्रांतों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। ये सदस्य केंद्र में प्रांतों के प्रतिनिधि हैं। बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य आमतौर पर विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में दक्ष होते हैं।

राज्यसभा सदस्य की उम्र 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हर सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। हर 2 सालों में एक-तिहाई सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है। दूसरे शब्दों में राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते हैं। हर दो सालों में 89 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है और इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं।

राज्यसभा सदस्यों का चुनाव

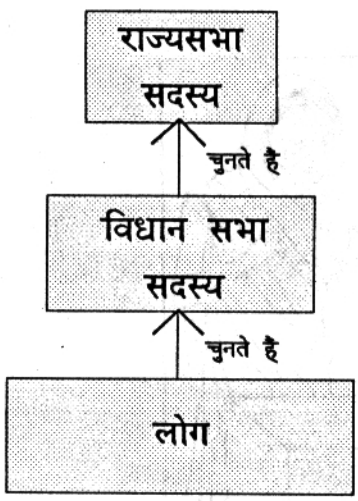

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। वही इस सभा का संचालन करता है।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं। दोनों सदनों की बैठक साल में कम से कम दो बार होना ज़रूरी है।

लोकतंत्र का सब से महत्वपूर्ण सिद्धांत है **लोगों द्वारा शासन**। इसका एक पहलू है लोगों द्वारा चुनाव। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जो कानून बनाते हैं, वे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना, कानून बदलना।

सोच कर बताओ कि वोट डलने के बाद यह कैसे तय होता है कि उस क्षेत्र का लोकसभा सदस्य कौन बना?
तुम्हारे क्षेत्र का लोकसभा सदस्य कौन है?
तुम्हारे लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कुछ गांवों के नाम बताओ।
अब तक लोक सभा के नौ चुनाव हो चुके हैं - 1952, 1957, 1962, 1967, 1971, 1977, 1980, 1984, 1989 में।
चुनाव 5 साल से कम में कब-कब हुए और 5 साल से अधिक में कब? ऐसा क्यों हुआ गुरुजी से पूछो।
राज्यसभा के सदस्य कितने सालों के लिए चुने जाते हैं?
राज्यसभा के सदस्य कौन चुनता है?

हमारे कानून कैसे बनते हैं

कानून कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया संक्षिप्त में देखें।

1. लोकसभा के सदस्य ने लोकसभा के सभापति से विधेयक (कानून का प्रस्ताव) पेश करने की अनुमति मांगी। सभापति की अनुमति से लोकसभा में विधेयक

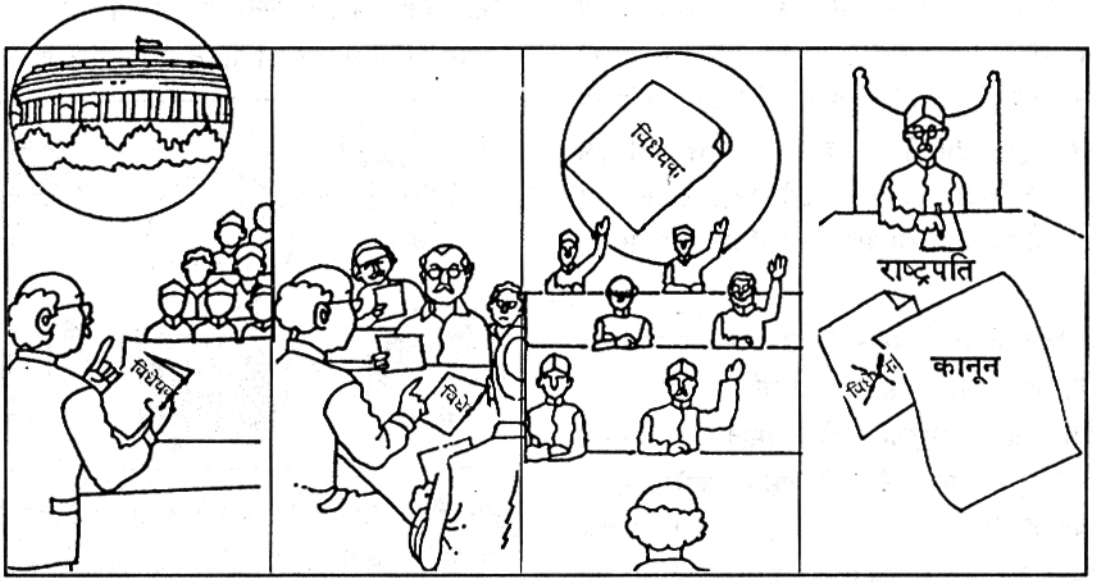

विधेयक कानून कैसे बनता है

पेश किया गया। हर सदस्य को विधेयक की एक प्रति दी गई और उसके बारे में बताया गया।

2. कुछ दिनों बाद समय तय किया गया और विधेयक के हर बिंदु पर विस्तृत चर्चा की गई। उम्मीद है कि सब सदस्य विधेयक पढ़ कर आए हैं। कई सदस्यों ने संशोधन भी सुझाए।

3. फिर कुछ दिनों बाद संशोधनों के साथ विधेयक फिर पढ़ा गया और उपस्थित सांसदों के मत लिए गए। उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक ने विधेयक के समर्थन में अपना मत दिया यानी इस विधेयक को बहुमत मिला। यह विधेयक लोकसभा से 'पारित' हो गया।

इन तीनों चरणों को विधेयक के तीन वाचन कहते हैं।

4. अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। यहां भी उस पर चर्चा हुई और उस पर मत लिए गए। राज्यसभा में भी आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों के मत (बहुमत) विधेयक के पक्ष में पड़े। राज्यसभा से भी विधेयक पारित हो गया। (यदि संशोधित विधेयक को बहुमत नहीं मिलता तो वह विधेयक कानून नहीं बनता।)

5. अब इस विधेयक को कानून बनने के लिए एक आखिरी चीज़ ज़रूरी है। वह है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर के इस विधेयक को कानून बना दिया। यह है साधारण विधेयक से कानून बनने की सीधी प्रक्रिया। कानून बनाने के नियम इस प्रकार हैं :

1. साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है - राज्यसभा या लोकसभा में।

2. विधेयक कोई भी पेश कर सकता है। व्यवहार में मंत्री अधिकांश विधेयक पेश करते हैं।

3. आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत (बहुमत) यदि विधेयक के पक्ष में है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है।

4. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना ज़रूरी है।

5. आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभा का सभापति अपना मत नहीं देता है। पर यदि विधेयक

के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं तो सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से नहीं, तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है।

6. जिन विधेयकों में खर्चे या आमदनी की बात जुड़ी है, जैसे बजट, उस के लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है यानी ये विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं। राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं।

लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है बहुमत का शासन। बहुमत से लोग चुने जाते हैं, बहुमत से विधेयक पारित होते हैं।

कानून कौन से, किसके

प्रांत में विधानसभाएं और केंद्र में संसद, दोनों ही कानून बनाते हैं। कौन से कानून विधानसभाएं बनाएंगी और कौन से संसद, इन विषयों की सूचियां संविधान में दी गई हैं। ऐसी 3 सूचियां हैं -

केंद्रीय - संसद 97 ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है जिन पर राज्य कानून नहीं बना सकते। इसका मतलब यह है कि इन 97 विषयों पर पूरे देश में एक ही कानून होगा। इनके कुछ उदाहरण हैं →

प्रांतीय - हर राज्य की विधानसभा 66 ऐसे विषयों पर कानून बना सकती हैं जिन पर संसद कोई कानून नहीं बना सकती। यानी इन विषयों पर हर प्रांत में अलग-अलग कानून हो सकते हैं। उदाहरण के लिए-

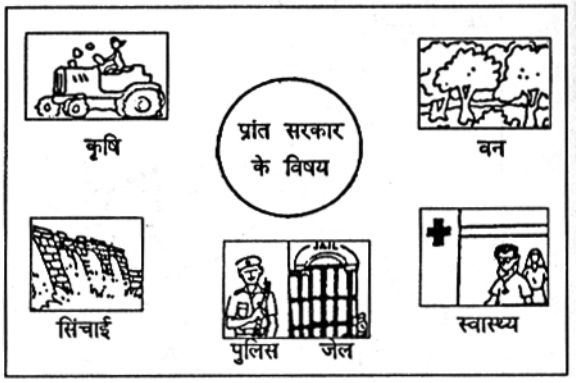

समवर्ती - संसद और विधान सभा दोनों 47 विषयों पर कानून बना सकती हैं। यदि दोनों के कानूनों में मतभेद हो तो संसद का कानून मान्य होता है।

कौन किस विषय पर कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यह अक्सर विवाद का

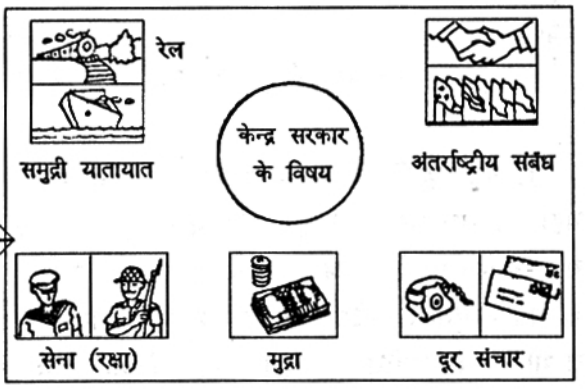

मुद्दा होता है। दोनों ही अधिक विषयों पर कानून बनाना चाहते हैं। पर इन विषयों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है।

साधारण विधेयक कानून कैसे बनता है?
खर्चे और आमदनी के विधेयक और साधारण विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया की तुलना कर के बताओ इनमें क्या-क्या अंतर हैं?
यदि किसी विधेयक को एक सदन में बहुमत मिलता है और दूसरे में नहीं मिलता तो क्या होगा?
यदि किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हैं तो क्या होगा?
यदि विधेयक को पहले सदन में ही बहुमत नहीं मिलता तो क्या होगा?
संसद और विधानसभाएं दोनों कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं?
यदि इन कानूनों में विरोधाभास हो तो किसका कानून मान्य होता है?

कानून लागू करने वाले

जब विधेयक राष्ट्रीय कानून बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद ये कानून लागू करते हैं। वे भी संसद के सदस्य होते हैं।

प्रधान मंत्री और मंत्री परिषद कैसे बनते हैं

चुनाव के बाद लोक सभा के सदस्य बने। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया और प्रधानमंत्री से कहा कि वह अपनी मंत्री परिषद बनाए। राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा या राज्यसभा सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है। पर वह ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो।

यह कैसे पता चलता है कि किसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है? आमतौर पर राजनैतिक दलो के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। तुम कई दलों के नाम जानते होगे। अक्सर किसी एक दल से ही लोक सभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं। यह दल फिर अपना नेता चुनता है। बहुमत दल के नेता को लोक सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री फिर मंत्री परिषद चुनता है और उसके सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री जब चाहे अपने मंत्री हटा सकता है और नए मंत्री बना सकता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा सदस्य होना ज़रूरी है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है।

प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या काम करते हैं

संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीति लागू करने का काम मंत्री परिषद का है। इन कामों को पूरे देश में करने की ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की है। मंत्री परिषद को मंत्रिमंडल भी कहते हैं। इसके लिए मंत्री परिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागों में कई हज़ार लोग काम करते हैं। ये कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं।

फिर इन सब कामों के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। इस पूरे खर्च की ज़िम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की होती है। खर्चे और आमदनी का एक और मंत्रालय है - वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री के बारे में तुम पहले भी पढ़ चुके हो।

पूरे भारत के लिए रेल, डाक, टी.वी., टेलीफोन, आदि का प्रबंध करना, देश की रक्षा करना - ये सभी काम केंद्रीय सरकार के हैं।

प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई दो योग्यताएं लिखो।
केंद्रीय मंत्री कैसे बनते है?
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री क्या काम करते हैं?
पता करो कौन-कौन से और विभाग केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय सरकार में काम करते हैं?
तुम जहां रहते हो वहां कौन कौन से कर्मचारी केंद्रीय सरकार के हैं?

लोकसभा का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण

इतने पैसे, इतने बड़े काम, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो बहुत ताकत है। वे मनमानी न करें, पैसो का दुरुपयोग न करें इसलिए उन पर नियंत्रण रखना भी ज़रूरी है।

संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि लोकसभा के बहुमत का उन पर विश्वास हो। यदि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल हटा दिया जाता है।

इसके अलावा सांसद लोकसभा या राज्यसभा में

1. मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिमंडल किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इन्कार नहीं कर सकता, न ही गलत जवाब दे सकता है। यदि जानकारी गलत साबित हुई तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
2. किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यानाकर्षित कर सकते हैं।
3. मंत्रिमंडल पर टिप्पणी कर सकते हैं।

इस प्रकार संसद मंत्रिमंडल के कामों पर नियंत्रण रखती है।

राष्ट्रपति

लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल ये सब हमारे देश का शासन चलाते हैं। पर पूरे भारत के शासन का प्रमुख राष्ट्रपति है। उस की सहमति के बिना शासन के बहुत से प्रमुख काम नही हो सकते।

राष्ट्रपति क्या-क्या करता है इसके बारे में तुम ने अब तक क्या पढ़ा?
कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है - दो बातें लिखो।

कानून बनाने में भूमिका

कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनो सदनो में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। विधेयक मे बदलाव के सुझाव दे सकता है और विधेयक वापिस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनो सदन दोबारा उसी विधेयक को, बिना राष्ट्रपति के सुझाव लिए, पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा।

यदि किसी प्रांत का राज्यपाल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उस प्रांत का विधेयक भेजता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर के उस कानून को बनने से रोक सकता है।

नियुक्त करने की शक्ति

प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्री मंडल नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, चुनाव आयोग के सदस्य आदि की भी नियुक्ति करता है।

माफी देने की शक्ति

कई परिस्थितियों में राष्ट्रपति माफी भी दे सकता है। यदि किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो

राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है या फिर उसे उमर कैद मे परिवर्तित कर सकता है। इस के लिए अभियुक्त राष्ट्रपति से माफी के लिए अर्ज़ी दे सकता है। पर यदि राष्ट्रपति ने अर्ज़ी मंज़ूर नही की तो अभियुक्त को सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी।

राष्ट्रपति का चुनाव

राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 35 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। वह मुनाफे के किसी पद पर नही रह सकता। राष्ट्रपति हर राज्य के विधायक और सांसद (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। पर राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव से कुछ अलग होता है। राष्ट्रपति पांच साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, वह संसद का सदस्य नही रह सकता।

राष्ट्रपति को हटाना

यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो वह संसद द्वारा हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि वह अपने मन से कोई मंत्री नियुक्त करता है या हटाता है, या किसी स्रोत से मुनाफा कमाता है या संसद के दोनों सदनों से दो बार पारित होने के बाद भी किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नही करता तो उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन मे रखा जा सकता है।

उपराष्ट्रपति

भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होता है। उपराष्ट्रपति भी उसी प्रकार चुना जाता है जैसे राष्ट्रपति। वह राज्य सभा का सभापति (अध्यक्ष) होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति मे वह राष्ट्रपति के सब काम करता है।

राष्ट्रपति कौन से कानून बनने से रोक सकता है?

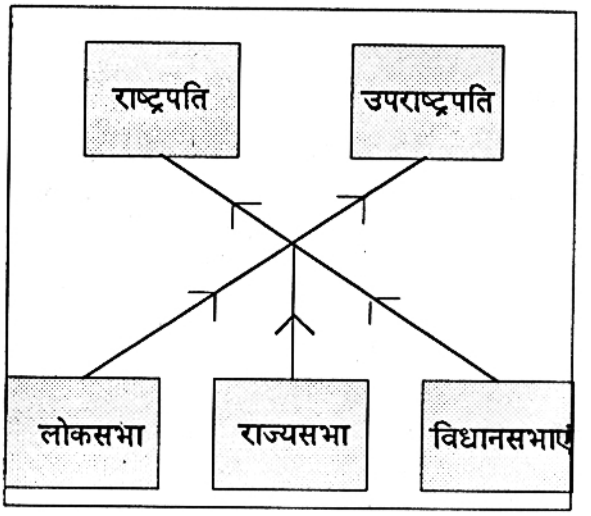

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव

यदि किसी को सर्वोच्च न्यायालय से सज़ा मिली है तो उसे माफी कैसे मिल सकती है?
राष्ट्रपति को किन कारणों से हटाया जा सकता है और उसे कौन हटा सकता है?
उपराष्ट्रपति के क्या काम हैं?

संसद की कुछ झलकियां

संसद की बैठक चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य पूरे भारत से दिल्ली आए हुए हैं। उन सब को दिल्ली मे रहने की जगह मिली हुई है।

सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई। संसद मे दिन शून्य काल से शुरू होता है। शून्य काल में सांसद बिना पूर्वानुमति के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। कई सांसद आज संसद भवन नही आए हैं। चलो संसद भवन का एक चक्कर लगा कर आएं। अभी तो कॉरिडोर मे ही पहुंचे हैं। लोकसभा से इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? ज़रा झांककर देखें मसला क्या है।

लोकसभा में चर्चा

एक सांसद यह प्रश्न उठा रहे थे, "क्या यह सही है कि हमारे देश के लोग दूरदर्शन देखने के बजाए दूसरे देशों से प्रसारित कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है?" दूरसंचार मंत्री ने सदन को यह जानकारी दी कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों को अधिक रोचक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन पर कुछ आगामी कार्यक्रमो की जानकारी भी सदन को दी। ये जानकारी कुछ सदस्यों ने मांगी थी।

विधेयक पर चर्चा

फिर विधेयक पर चर्चा करने का समय हो गया। कुछ दिन पहले एक सांसद ने खेतीहर मज़दूरी पर केंद्रीय कानून बनाने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया था। आज उस पर बहस होनी है। बहस शुरू हुई।

कोई कहता - "भारत में खेती की इतनी अलग-अलग परिस्थितियां हैं। कहीं सूखी खेती, कहीं सिंचित खेती, कहीं पैदावार अधिक, कहीं कम। यदि एक कानून बना दिया गया तो हर जगह के किसान इतनी मज़दूरी नहीं दे पाएंगे।" तो कोई कहता - "इसीलिए तो मज़दूरों की स्थिति कुछ जगहों पर इतनी बुरी है। सब जगह एक कानून लागू होगा तो हर जगह के मज़दूरों को कम से कम खाने को तो पर्याप्त मिलेगा।" ऐसे ही हर बिंदु पर बहस चलती रही। बहस होते-होते खाने का समय हो गया और लोकसभा भोजन-अवकाश के लिए स्थगित हो गई। 3 बजे दोनों सदन फिर मिलेंगे।

बजट विधेयक पारित

भोजन अवकाश के बाद समय आया रेल बजट पारित करने का। इस बजट पर पहले चर्चा हो चुकी थी और सुझाए गए संशोधन भी किए जा चुके थे। आज मत लेने की बारी थी। उपस्थित सदस्यों के मत लिए गए और रेल बजट पारित हुआ।

दिन भर की कार्यवाही खत्म हुई। अब दोनों सदन अगले दिन 11 बजे फिर मिलेंगे।

लोकसभा में कौन से मंत्री ने जानकारी दी और क्या जानकारी दी?
लोकसभा में किस विधेयक पर बात हो रही थी?
लोकसभा में कौन सा विधेयक पारित हुआ?

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यायालय

हमने देखा कि भारत में नियम है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने और चले। इसके लिए संसद और मंत्री परिषद बनते हैं। इन्हें संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। इनके काम पर कई तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि ये लोग संविधान के अनुसार काम नहीं करते तो सर्वोच्च न्यायालय में

उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। संविधान के नियम समझने मे मतभेद हो सकते हैं। इन्हें स्पष्ट करने मे सर्वोच्च न्यायालय मदद करता है। केंद्र और राज्य सरकारो के बीच मतभेदो पर भी सर्वोच्च न्यायालय मे निर्णय किया जा सकता है। दूसरे कामो के अलावा सर्वोच्च न्यायालय मंत्रिमंडल और सांसदो पर नियंत्रण रख सकता है। न्यायालय भी सरकार का भाग है।

लोकतंत्र में जनमत का महत्व

लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रिया मे मंत्रिमंडल और संसद लोगो के प्रति ज़िम्मेदार हैं। लोकतंत्र मे जनता का मत (जनमत) बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि जनता ने सांसद चुने हैं, जनता उन पर ठीक से काम करने का दबाव भी डाल सकती है। यह कैसे? यदि लोग सरकार के किसी काम से खुश नही हैं तो सभाओं, अखबारो या पत्रिकाओ मे उसकी आलोचना कर सकते हैं। ऐसी आलोचना का सरकार की नीतियो पर काफी असर पड़ता है। इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है। स्वतंत्र मत लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावित करते हैं। लोकतांत्रिक शासन मे जनता अपनी सरकार चुन कर और सरकार की गलतियो की आलोचना करके सरकार को नियंत्रित कर सकती है। यदि सरकार आलोचना या स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर रोक लगाती है तो जनता का लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार है कि वह इस रोक के विरुद्ध लड़े।

सही आलोचना करने के लिए जनता के पास सरकार के विचारो और उन की नीतियो के क्रियान्वन की सही जानकारी होना ज़रूरी है।अगले पाठो मे हम सरकार के विचार, उनकी योजनाओं और नीतियो के बारे मे पढ़ेंगे।

संसद की झलकियों' मे बताई गई घटनाएं काल्पनिक हैं। ये केवल संसद की कार्यवाही को चित्रित करने के लिए दी गई हैं।

० ० ०

अभ्यास के प्रश्न

1. लोकतांत्रिक शासन मे लोगो की भागीदारी किस तरह होती है? दो तरीके बताओ।
2. संसद के दो सदनो के नाम बताओ।
3. पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाता है?
4. इनमे से किन लोगो को जनता चुनती है और किन को सांसद या विधायक? कौन लोग नियुक्त किए जाते है?
   - राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधायक।
5. साधारण विधेयक से कानून बनने के तीन मुख्य चरण संक्षिप्त मे बताओ।
6. इनमे से किन विषयों पर कानून सांसद बनाते है, किन पर विधानसभाएं और किन पर दोनो बना सकते है?
   - कृषि, रेल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पुलिस, दीवानी कानून, डाकतार, बिजली, कारखाने।
7. कानून लागू करने की ज़िम्मेदारी किसकी है?
8. मत्रिमंडल पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है?
9. सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है? तीन तरीके बताओ।
10. जब संसद की बैठक हो रही हो, अखबार से या रेडियो पर समाचार सुनकर एक सूची बनाओ -

विधेयक पारित हुए	मुख्य सवाल जो पूछे गए